बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-15/2025 369 /पटना,दिनांक- 9.1.26

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी/सीतामढ़ी एवं जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा।

विषय : मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के किराया एवं महसूल इकाई मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किराया पर कार्यरत कार्यालयों के मकान किराया भुगतान हेतु **कुल ₹ 6.42510 लाख (छः लाख बयालीस हजार पांच सौ दस) रू0 मात्र** की राशि सारणी-। के अनुसार कार्यालयों के नाम के सामने अंकित राशि के अनुरुप आवंटन प्रदान किया जाता है।

सारणी-।

(सभी राशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	ग्रा0 का0 वि0 के कार्यालय का नाम	ग्रा0 का0 वि0 के कार्यालय का नाम जिनके लिए राशि आवंटित है	किराया की अवधि जिनके लिए राशि आवंटित है	किराया की स्वीकृत दर	आवंटित राशि	पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5		7
1	कार्य प्रमंडल, शेरघाटी	कार्य प्रमंडल, शेरघाटी का कार्यालय	अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक	3200/– प्रतिमाह	0.38400	1635/24.12.2025
2	जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा	जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा का कार्यालय	जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक	19665/– प्रतिमाह	2.75310	164/06.12.2025
3	कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी	कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी का कार्यालय	अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक	8500/– प्रतिमाह	2.04000	2479/09.12.2025
		कार्य अवर प्रमंडल, डुमराव का कार्यालय	अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक	3000/– प्रतिमाह	0.72000	
		नियंत्रण प्रयोगशाला, डुमराव का कार्यालय	अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक	2200/– प्रतिमाह	0.52800	
	कुल				6.42510	

2. यह राशि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के अन्तर्गत 14 01 किराया महसूल एवं कर ईकाइ मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी। जिसका विपत्र कोड सं0-37-2515000010009 है।

3. उक्त आवंटन से किराया महसूल एवं कर ईकाइ मद में भुगतान नियमानुसार ही किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगें कि बकाया आदि का भुगतान पूर्व में न की गयी हो।

4. सारणी में अंकित राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-277/वि0 दिनांक 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-4010 दिनांक-08.04.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।

7. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

8. आवंटन प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का संचिका सं0-13/अ0प्र0-01-15/2025 के पृ0-54/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

9/1/26

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-15/2025 369 /पटना,दिनांक- 9.1.26

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/26

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-15/2025 369 /पटना,दिनांक- 9.1.26

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/26

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-15/2025 369 /पटना,दिनांक- 9.1.26

प्रतिलिपि : सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/संयुक्त सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/26

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-15/2025 369 /पटना,दिनांक- 9.1.26

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

9/1/26

सरकार के उप सचिव